न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 68 / 2017

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 जगदीश पुत्र मोहन आयु 60 वर्ष जाति दरोगा निवासी ग्राम दीपपुरा कल्याण तहसील धोद जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 दीपपुरा होटल एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर अजय रवत पुत्र राममोहन आयु 60 राव जाति महाजन वर्ष रजिस्टर्ड ऑफिस 13–गणेश कॉलोनी, जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर राजस्थान।
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार धोद जिला सीकर राजस्थान।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेस्पोंडेन्ट

अपील अं. धारा 223 रा0का0 अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.17 अन्तर्गत राजस्व वाद संख्या 37 / 16 शीर्षक दीपपुरा होटल बनाम जगदीश आदि के विरूद्व अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय क.सं.2 सीकर पीठासीन अधिकारी रामसिंह राजावत आर.ए.एस।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अपील संख्या 69/2017

1 जगदीश पुत्र मोहन आयु 60 वर्ष जाति दरोगा निवासी ग्राम दीपपुरा कल्याण तहसील धोद जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 दीपपुरा होटल एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर अजय रवत पुत्र राममोहन आयु 60 राव जाति महाजन वर्ष रजिस्टर्ड ऑफिस 13–गणेश कॉलोनी, जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर राजस्थान।
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार धोद जिला सीकर राजस्थान।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अं. धारा 223 रा0का0 अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.17 अन्तर्गत राजस्व वाद संख्या 37/16 शीर्षक दीपपुरा होटल बनाम जगदीश आदि के विरूद्व अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय क.सं.2 सीकर पीठासीन अधिकारी रामसिंह राजावत आर.ए.एस।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थित

1. श्री राजेन्द्र कुमार जाखड़ अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भोजराज सिंह अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री मुजफर इकबाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री बजरंग सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–18.09.2018

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर द्वारा वाद संख्या 37/2016 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.02.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26.04.2017 के विरूद्व अलग–अलग प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जाये।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने खसरा नम्बर 174 वाके ग्राम दीपपुरा कल्याण पटवार हल्का सेवद बड़ी तहसील धोद जिला सीकर के सन्दर्भ में बंटवारे का दावा पेश किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई 11.02.2017 से प्राथमिक डिक्री जारी की एवं दिनांक 26.04.2017 से अंतिम डिक्री जारी कर दी। जिससे व्यथित होकर यह दो अलग–अलग अपीले प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद कथन को

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अस्वीकार किया था विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित की है अपीलांट को जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर दी है। दोनों अपीले स्वीकार कर अपीलांट को प्रकरण में साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर निर्णय हेतु दोनों प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जायें। अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2009(1) आर.ज. पेज 684 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.02.2017 में स्पष्ट निर्देश किया है कि उभयपक्ष की सहमती से बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें, सहमती नही होने पर मौके पर विधिवत बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बंटवारा कर प्रस्ताव भिजवाये विचारण न्यायालय के समक्ष बंटवारा प्रस्ताव आने पर अंतिम डिक्री दिनांक 26.04.2017 में स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस के दौरान सहमती जाहिर की है। अत विचारण न्यायालय ने प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील अपीलांट सारहीन है खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउन्डटस विभाजन हेतु विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय के समक्ष काउन्टर वाद प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से को अपीलांट ने कोई चुनौति नही दी है। अत प्राथमिक डिक्री जारी करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नही की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जहां तक अंतिम डिक्री पारित करने का प्रश्न है विचारण न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार धोद द्वारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये है विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.04.2017 में विचारण न्यायालय ने वर वक्त बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सहमती होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार अंतिम डिक्री पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही पाई जाती है। न्यायाहित में दोनों अपीलों में प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचाराधीन दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

18.9.18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर